

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इ-पत्र संकेत: जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर - 302004

क्रमांक: जयपुरा/उपा./जोन 7/2022/डी

870

दिनांक: 21/8/2022

पैरासी वासुदेव एन्टरप्राइजेज
जरिये साझेदार श्री पवन अग्रवाल
पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता,
निवासी: आई 7/बी-2, इ-टा कॉलोनी,
बनीपार्क, जयपुर।

विषय: अरविन्द नगर गृहनिर्माण की योजना इ-प्रस्थ के गृहखण्ड संख्या 92, 93 एवं 94 पूर्वी भाग क्षेत्रफल 1130.49 वर्ग (945.23 वर्गमी.) के संशोधित आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन वास्तु।
संदर्भ: आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 06.07.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.07.2022 के क्रम में अरविन्द नगर गृहनिर्माण की योजना इ-प्रस्थ के गृहखण्ड संख्या 92, 93 एवं 94 पूर्वी भाग क्षेत्रफल 1130.49 वर्ग (945.23 वर्गमी.) के संशोधित आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन, जिसमें रिटल्ट + 6 तल, अर्थात् रिटल्ट + 18.00 मीटर ऊँचाई अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे, जिसकी स्वीकृति जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 02.08.2022 में लिए गये निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. यह भवन अनुज्ञा जारी दिनांक से 3 वर्ष तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेविएशन) नहीं किया जायेगा।
3. गृहखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रवर्तित मारटर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है। प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी भी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.11.2 के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.11.4 के अनुसार ठोरा कबरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.11.5 के अनुसार सौर उर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेंसी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. आप द्वारा भवन विनियम 2020 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त सम्बन्धित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्त अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त (जोन-7) प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
10. आप द्वारा भवन विनियम 2020 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त (जोन-7) को दी जानी होगी। यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
11. भवन विनियम 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किसी न्यायालय, राक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
13. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
14. गृहखण्ड प्रत्येक गंजिल के लिए स्वीकृत (आवासीय उपयोग) ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।

उपायुक्त (जोन-7)
जयपुर विकास प्राधिकरण

15. भूखानगी भवन के परिसर को रवीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
16. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में रवानगी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
17. रवीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लैट्स की संख्या के साथ सम्बन्धित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2020 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
19. भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
20. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकसकता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जाँच की जाये।
21. रवीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
22. निर्माण स्थल पर रवीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
23. भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे, जिसके पास भवन का मानचित्र सुरक्षा का निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहे। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
24. भवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई रवीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण रवीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
25. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लम्बित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात् यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकें।
27. भवन निर्माण के समय निर्माण सागरी से आसपास के गवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
28. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
29. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।

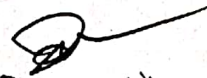
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रवर्तन अधिकारी जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
2. सहायक नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।

For M/s VASHUDEV ENTERPRISES



Partner


उपायुक्त (जोन-7)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उपायुक्त जोन-7
जविप्रा, जयपुर।

SCALE = 1:100

[illegible]

विष्णु देवता मूर्ति (विष्णु देवता मूर्ति)
विष्णु देवता मूर्ति (विष्णु देवता मूर्ति)
विष्णु देवता मूर्ति (विष्णु देवता मूर्ति)
विष्णु देवता मूर्ति (विष्णु देवता मूर्ति)
विष्णु देवता मूर्ति (विष्णु देवता मूर्ति)

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर विकास नगरी)
प्रिनसिपल 2020 की धारा 12 के अंतर्गत निदेशों के
अनुसार वार्षिक रूप से विकास प्राधिकरण के
प्रशासित प्रभाग में विविध प्रकल्पों की प्रगति
अनुसंधान विभाग द्वारा भवन निर्माण के अंतर्गत
अनुसंधान प्रकल्पों की प्रगति।

Applicant should get construction checked at plan level before submitting for further review.

प्रमाण को ज्ञान सार्वजनिक गर्नुको लागि यस विवरण २१/८/२०७६
मा उपर्युक्त जानकारी गराइएको छ। यो सूचना जारी गर्ने
मिति/स्थान/वर्ष: ०१-०८-२०७६ स्थान: ३२० भोजपुर २५/८/२०७६
को जारी गर्न अनुमति दिने गर्दछ।

Assistant Town Planner,
Zone-7
Jaipur Development Authority
JAIPUR

उपायुक्त (जोन-7)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



WASPIDEV ENTE

[Handwritten signature]

Partner


 HRI KRISHAN
 ARCHITECT
 REG. NO. 12545
 1-100

PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. 92, 93, 94 (EAST PART) SCHEME:- INDRAPRASTHA, JAIPUR	OWNER For M/s VAHIDEV ENTERPRISES <i>(Signature)</i> Particulars	ARCHITECT :- SPACE GRID C-48 VEENA APARTMENT PARAS MARG, BAPU MARG NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-0981087668, 0141-4005506 (C) Email- info.spacegrid@gmail.com
--	--	--

इस मानचित्र का निर्माण किसी भी प्रश्नगत भूमि/भूभाग के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं देता जैसा कि ओर न ही दूसरे किसी के स्वामित्व सम्बन्ध अधिकार ही प्रमाणित करेगा। नीचे किसे गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भू-विभाग की संरचना (Structure) का दृष्टिकोण प्रार्थी का होगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजनल बॉर्ड)
विनियम 2020 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के
अनुसार भू-जल संचयन का प्रस्तावित का भवन
में विशेष प्रावधान रखे जाये अन्यथा ज.वि.प्र. द्वारा
भवन निर्माता के विलम्ब निष्काानुसार कार्यवाही
की जायेगी।

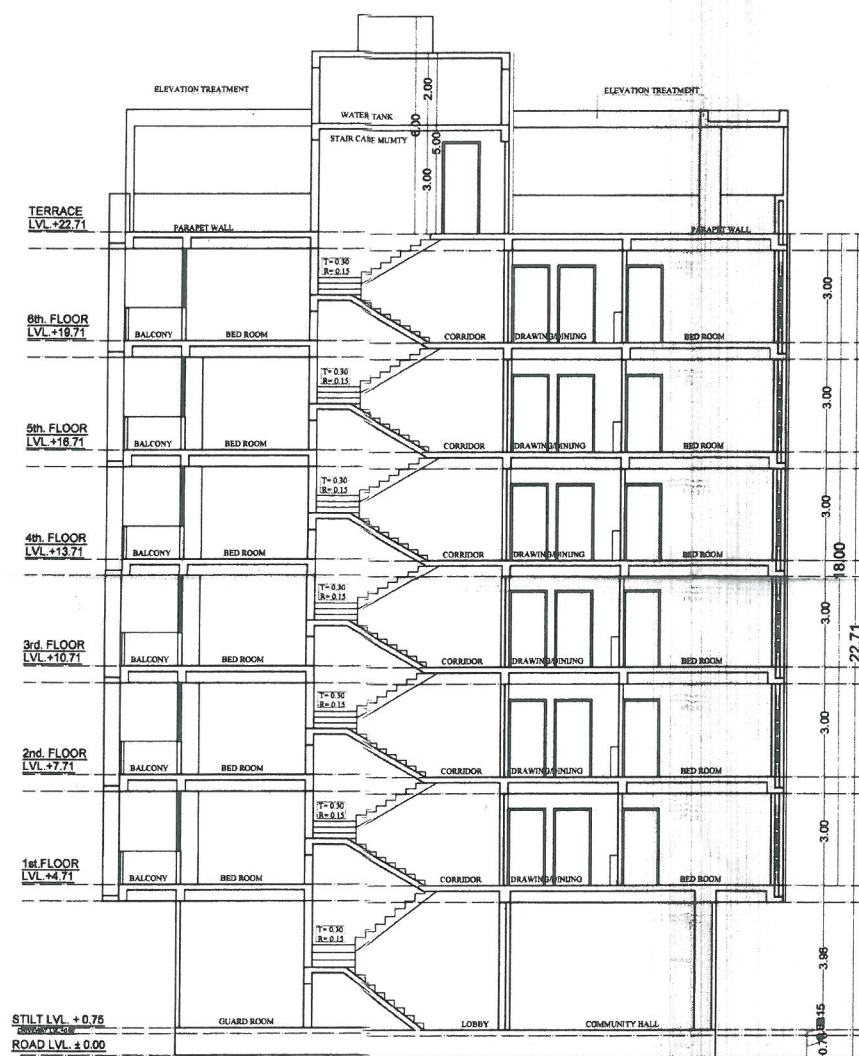
जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रोजन नवन) विनियम 2020 की धारा 12 के विरुद्ध निदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के समान प्रस्तावित भवन में विशेष प्राप्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति जयपुर जयपुर द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण को जोन स्तरित कमिनि वैदक दिनक 2/8/2022 को
 एका 2/8/22-उपयोग को प्रवन मनसिप एका
 जमिना/उप/जान-07/2022-डी-170 दिनांक 24/8/2022
 को जारी कर अनुमति दिने गर्ने हे।

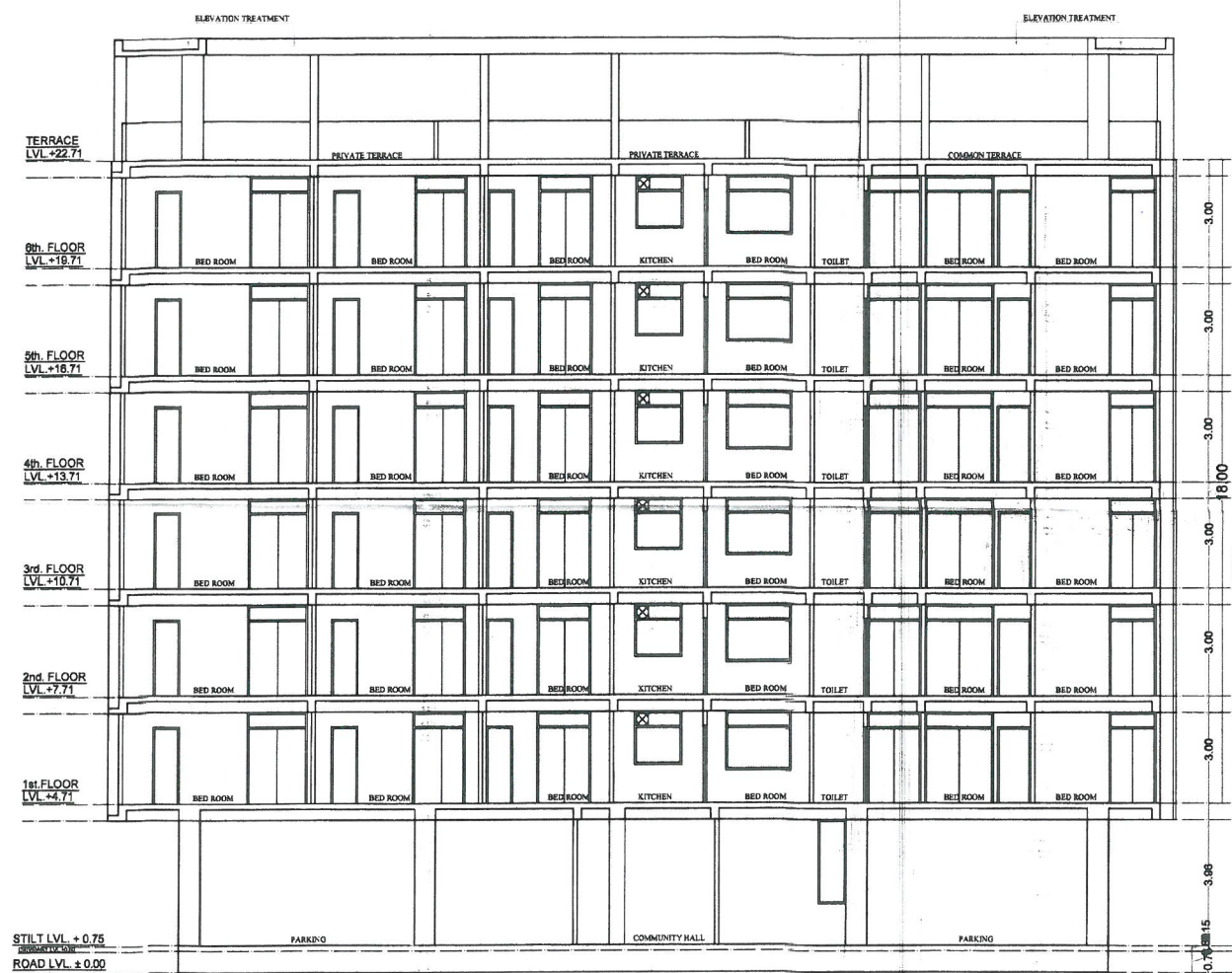
अनुमोदित
पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ।

Assistant Town Planner
Zone-7
Jaipur Development Authority
JAIPUR

उपायुक्त (जोन-७)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



SECTION S2



SECTION S1

For M/s VASHUDEV ENTERPRISES

Partner

SHRI KRISHNA
ARCHITECT
CA/99/2586ALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO. 92, 93, 94 (EAST PART)
SCHEME:- INDRAPRASTHA, JAIPUR

OWNER

ASHOKA VASHUDEV ENTERPRISES

ARCHITECT :-

☐ SPACE GRID

SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG.

BAPU NAGAR, NEAR
LAKHIMPUR, 226015

JAIPUR-302015
DL 00214018766 01.11.2005606 /D

Email: -lnto.spacegrid@gmail.com